[illegible]

को [illegible] दे।

उप[illegible] [illegible]री
मुण्डावर [illegible] तिजारा)

07/3/21 [illegible] पेश हुई / पक्षकार उपस्थित।

T.9 SEMC 1-A; [illegible] की प्रार्थना पत्र [illegible]

212 R.T.A. [illegible] / [illegible]

[illegible] | [illegible]

प्रार्थना पत्र [illegible]

[illegible] रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
185/2023	09.10.2023	07.03.2025

उनवान

1. सुमेरी देवी पत्नी जयदयाल सिंह जाति अहीर निवासी पलावा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र राजपाल जाति राजपूत निवासी विजय नगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर, अलवर

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री रणवीर सिंह
अप्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री सुभाष शर्मा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थीया को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के वाद में मिन प्रार्थीया ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी ख0 न0 348 रकबा 0.51 हैक0, 376 रकबा 0.25 हैक0, का 1/3 भाग प्रेमदेवी पुत्री राजपाल व ओमकार पुत्र राजपालसिंह

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(4)

से व ख0 न0 254 रकबा 0.01 हैक०, व ख0न0 255 रकबा 1.00 हैक०, का 1ध्4 भाग ओमकार पुत्र राजपालसिंह से जरियें रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा रही है तथा मिन प्रार्थीया के नाम बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज व मंजूर हो गया, लेकिन विक्रेतागण द्वारा मिन प्रार्थीया को मौका पर कब्जा ख0 न0 255 पर दिया गया था तथा मिन प्रार्थीया वक्त खरीद से आराजी ख0न0 255 पर काबिज काश्त है।

4. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉड में मिन प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 1 ल0 12 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है. लेकिन मौका पर आराजी का बहानी बंटवारा हो रहा है तथा ख०न० 255 मिन वादी के हिस्से आया हुआ है तथा अन्य ख0 न0 अप्रार्थी स० 1ल0 12 के हिस्से आये है तथा बहामी बंटवारा अनुसार ही पक्षकारान काबिज काश्त है। विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नही हुआ है।

5. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉड में मिन प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 1 ल0 12 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी स0 1 विवादित आराजी में मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्राथर्थी को आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहा है, तथा बिना विधिक तकासमा कराये ही आराजी को बेचान करना चाहता है, तथा अप्रार्थी स0 1 आये दिन मिन प्रार्थीया के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करता है, इसलिए मिन प्रार्थीया का अब अप्राथर्थीगण के साथ सामलाती राजस्व रिर्कोड में रहना सम्भव नहीं रहा है। इसलिए मिन प्राथर्थीया मौका पर काबिज अनुसार नुसार कूरेंजात रिर्पोट मंगवाकर, अपने हिस्से आयी आराजी ख0 न0 255 का अलग से खाता कायम कराने या आराजी का अच्छी में से अच्छी या बुरी में से बूरी के हिसाब से तकासमा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा तकासमा पेश किया जाना लाजिमी आया है।

6. यह है कि दिनांक 28/9/2023 को अप्रार्थी स0 1 विवादित आराजी पर आकर, मिन प्राथर्थीया के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, जिस पर मिन प्राथर्थीया ने मना किया तो अप्रार्थी स0 1 ने धमकी दी है कि मैं किसी भी प्रकार से बहामी बंटवारा को नहीं मानता तथा तेरे हिस्से आयी आराजी पर कब्जा कर, तुझे आराजी से बेदखल कर दूगा तथा काश्त नहीं करने दूंगा। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

7. यह कि विवादित आराजी मिन प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 1 ल0 12 के नाम राजस्व रिर्कोड में सामलात में दर्ज है तथा तथा मौका पर आराजी का बहामी बंटवारा हो रहा है तथा सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, लेकिन अप्रार्थी स0 1 के मन में बदयान्ती आ रही है, जो मिन प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (लैरथल-तिजारा)

हिस्से आयी आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन वादी को उसके हिस्से आयी आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहा है तथा आराजी का बहामी बंटवारा होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन प्रार्थी वादी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादी स0 1 द्वारा मिन से बेदखल कर दिया तो वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नही आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु0 ई0 दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

8. यह है कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण आयद वो साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र हु0 ई0 दवामी पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताःफेसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण सं0 1 आराजी हाल ख०नम्बर हाल ख0 नम्बर 348 रकबा 0.51 हैक0, 376 रकबा 0.25 हैक०, व ख0न0 254 रकबा 0.01 हैक0, 255 रकबा 1.00 हैक०, वाके ग्राम विजय नगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में प्रार्थीया के बहामी बंटवारा में हिस्से की आराजी ख0 न0 255 पुर जरबन कब्जा, बेदखल नहीं करे, ना ही विवादित आराजी को बिला तकासमा कही रहन, बेय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन प्रार्थीया के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, व रिकॉड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे व अप्रार्थी स0 2 व 3 को पाबन्द किया जावे कि वो कोई दस्तावेज पंजिबद्ध नही करे, हल्फनामा संलग्न है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। तामिल उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अप्रार्थी अप्रार्थी सं० 7, 8, 9, 10, 12 ने जबाव प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थीया को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थीया ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थीया का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 3 सरासर गलत है। प्रार्थीया को ख0 नं0 255 में 1/4 भाग तथा ख० नं0 348 में 1/3 भाग, 376 में 1/3 भाग पर कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(6)

दिया था प्रार्थीया सारी आराजी एक जगह ख0 नं0 255 में से लेना चाहता है, जो प्रार्थीया की बदयान्ति है।

4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का मात्र 1/4 भाग है जिस पर भी अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा है। 1/2 भाग अप्रार्थी सं0 1 ल0 5 का 1/2 भाग अप्रार्थी सं0 6 ल0 12 का कब्जा है। उक्त आराजी ग्राम बीजवाड चौहान के गिरधारी नाई की 1/2 भाग सन् 1977 में अलोट हुयी थी जिसको राजपाल व प्रेम देवी ने खरीद किया था तथा 1/2 भाग भगवाना पुत्र मुखराम जाति नाई को अलोट हुयी थी जिसको अप्रार्थी सं0 6 ल0 12 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद किया था तब से आज तक 1/2 भाग पर हम अप्रार्थी सं0 6 ल0 12 व 1/2 भाग पर राजपाल व राजपाल पुत्र प्रतापसिंह काबिज रहे तथा राजपाल के देहान्त के उपरान्त औमकार व विजयसिंह के नामान्तरण दर्ज हुआ जिसमें विजयसिंह 1/2 भाग बंहामी बंटवारा से जोत रहा था औमकार ने 1/4 भाग का बैयनामा प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया। प्रार्थीया गैर काबिज है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 तकासमा इबारत सही है प्रार्थीया का नाम तीनो खसरा नम्बर में अंकित है तीनो में हिस्सेनुसार कुर्रेजात कायमी की मांग प्रार्थीया ने की है। जबकि वह ख० नं0 255 में 1/2 भाग को जोतना काश्त करना चाहती है। जो सम्भव नहीं है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 6 गलत है। प्रार्थीया स्वंय बदमाश प्रवृति की औरत है उसके वारिसान व अन्य लोग अप्रार्थी सं0 1 की खडी सरसो को जबरदस्ती काट कर चोरी कर ले गये जिसका अप्रार्थी सं0 1 ने पुलिस थाना मुण्डावर में मुकदमा दर्ज कराया प्रार्थीया को कोई बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। प्रार्थना पत्र बेरून मियाद है काबिल खारिज है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। विवाद अप्रार्थी सं0 1 व प्रार्थीया के मध्य है हम अप्रार्थीगण का 1/2 भाग विवादित नहीं है। हम अप्रार्थी सं0 6 ल0 12 सदभावी केता है और शांति से अर्सा करीब 32 साल से अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। हु0 ई0 दवामी इबारत काबिल खारिज है अप्रार्थी सं० 1, 1/2 हिस्सा सदैव से काश्त करता रहा है।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 8 गलत है स्वीकार नहीं है प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है।

विशेष कथन

1. यह है कि प्रार्थीया ने अहम तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र दायर किया है प्रार्थीया ने बैयनामा ख० नं0 348, 376 में 1/3 भाग का बैयनामा व ख० नं0 255 का 1/4 भाग बैयनामा कराया है उसके अनुसार प्रार्थीया काश्त करना नहीं चाहती वह

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1/2 भाग ख0 नं0 255 में काश्त करना चाहती है जो प्रार्थीया की बदयान्ति जाहिर होती है।

2. यह है कि प्रार्थीया ने प्रार्थी सं0 6 ल0 12 को बेजा पार्टी बनाया है जिसको इसका कोई हक नहीं है। हम अप्रार्थीगण का 1/2 भाग विवाद रहित है। तकासमा भी प्रार्थीया का अप्रार्थी के 1/2 भाग पर होना है। प्रार्थीया 1/4 भाग व अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 5 निस्फ भाग पर काबिज है। प्रार्थीया गैर काबिज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कहे कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी आराजी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। परन्तु अप्रार्थी विवादित आराजी को आये दिन प्रार्थी के हिस्से को जोतने बोने पर उतारू हो रहे है और डोल को मिसमीनार करते रहते है। विवादित आराजी का बहामी बटवारा हो रखा है परन्तु बटवारा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को विवादित आराजी पर कब्जा ना करने व डोल को मिसमीनार ना करने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को बेदखल कर बेचान करने व निर्माण कार्य करने की धमकी देने। माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न पत्रावलीयो में निर्णय पारित करते आदेश पारित किये गये है कि विवादित आराजी में सहखातेदार काश्तकार को जब तक बटवारा नही हो जाता है तो उसे स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना उचित है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कहे कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी आराजी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से यह स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा पारित विभिन्न पत्रावलीयो के निर्णय के अनुसार खातेदार को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जा सकता है। यदि प्रार्थी ने अप्रार्थी से कोई परेशानी है तो वह अपने हक हिस्से तक स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है ना की सम्पूर्ण विवादित आराजी पर। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज कर विवादित आराजी को स्थगन आदेश निरस्त किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का जबाव का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

के पक्ष में प्रतीत नही होता। किसी खातेदार काश्तकार को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायउचित नही है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0